

प्रेषक,

योगेश्वर राम मिश्र,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 01 अक्टूबर, 2020

विशय:- Payment of Ex-gratia compensation to the family of CAPFs/ polling personnel-in the event of Death due to COVID-19-reg.

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या-218/6/2020-ईपीएस, दिनांक 22-07-2020 में प्राप्त निर्देश निम्नानुसार हैं:-

"The Commission has considered the matter and decided to grant compensation of Rs 30 lakhs to the family of all polling personnel including CAPF and BEL/ECIL engineers, in the event of death due to covid-19, during the process of election. Therefore, para 1 (II) of the instruction dated 10-04-2019 is modified as under

II- If the death is unfortunately caused due to any violent acts of extremist or unsocial element like, road mines, bomb blasts, armed attacks etc. on death due to COVID-19, the amount of Compensation would be Rs. 30 Lakhs"

2- अतः भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के उक्त पत्र दिनांक 22-07-2020 के क्रम में कोविड-19 महामारी से मृत्यु की दशा में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान समस्त मतदान कार्मिकों के परिवार तथा CAPF and BEL ECIL engineers आदि के परिवारों को शामिल करते हुए अनुग्रह राशि रू० 30.00 लाख से आच्छादित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

लोक सभा/विधान सभा/विधान परिषद एवं उप निर्वाचनों की चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मियों को अनुमन्य अनुग्रह राशि को संशोधित दरों के अनुसार भुगतान कराने के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-249/61-2019-114(निर्वा-3), दिनांक 07 मई, 2019 में उल्लिखित शर्तों का पालन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-12-1791/दस-2020, दिनांक 28.09.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,


(योगेश्वर राम मिश्र)  
विशेष सचिव।

संख्या-813(1)/61-2020, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली।
- 2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम/द्वितीय) एवं लेखा परीक्षा, उ०प्र० प्रयागराज (इलाहाबाद)।
- 3- महालेखाकार, आडिट (प्रथम/द्वितीय), उ०प्र० प्रयागराज (इलाहाबाद)।
- 4- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 5- समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र० द्वारा कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०।
- 7- समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० द्वारा कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०।
- 8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
- 9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

  
(अनुराग प्रकाश यादव)  
अनु सचिव।